

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 24/06/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 24/06/2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री नवीन कर्णवाल, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्री मयंक कुमार, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नौएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)
4. श्री फणी किरण, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), सीएलए, नई दिल्ली।
श्री विशम्भर झा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) अमित कुमार गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नौएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 13/06/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

दिनांक 13/06/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 13/06/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) स्टर्लिंग ओर्नमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड - अधिकृत संचालन में संशोधन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि।

सुरेन्द्र मलिक

2.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स स्टर्लिंग ओर्नमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने अधिकृत संचालन में संशोधन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था:

- “(i) सादे चांदी के आभूषण (71131141) (40 एम.टन/वर्ष)
- (ii) मोती जड़े चांदी के आभूषण (71131142) (40 एम.टन/वर्ष)
- (iii) शीर्षक 7102 के हीरे जड़े चांदी के आभूषण (71131143) (40 एम.टन/वर्ष)
- (iv) अन्य कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े चांदी के आभूषण (71131145) (40 एम.टन/वर्ष)
- (v) अन्य चांदी के आभूषण (71131149) (40 एम.टन/वर्ष)
- (vi) चांदी के आभूषण के हिस्से (71131190) (40 एम.टन/वर्ष)
- (vii) सादे सोने के आभूषण (71131911) (40 किलोग्राम/वर्ष) (viii) प्रयुक्त/अप्रयुक्त, नए या टूटे हुए चांदी के आभूषणों का पुनः निर्माण, पुनः गलाना, मरम्मत करना। (71131141, 71131142, 71131143, 71131145, 71131149, 71131190) (500 किलोग्राम/वर्ष) (ix) प्रयुक्त/अप्रयुक्त, नए या टूटे हुए सोने के आभूषणों का पुनः निर्माण, पुनः गलाना, मरम्मत करना। (7113911) (40 किलोग्राम/वर्ष) (x) सोने से भरे तार से बने आभूषण (71131911) (1000 किलोग्राम/वर्ष); (xi) नकली आभूषण (कफ़लिक और जड़ित) (71171100) (8 एम.टन/वर्ष)
- (xii) कीमती धातु से लेपित या बिना लेपित आधार धातु के नकली आभूषण (71171990) (8 एम.टन/वर्ष)
- (xiii) नकली मोती या नकली या कृत्रिम पत्थरों से जड़े नकली आभूषण (71179010) (8 एम.टन/वर्ष)
- (xiv) अन्य नकली आभूषण/नकली आभूषण के हिस्से (71179090) (8 एम.टन/वर्ष)”

2.2 श्री प्रशांत श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उन्होंने गलती से अपने प्रस्ताव में पांच वर्षों की उत्पादन क्षमता को वार्षिक उत्पादन क्षमता के रूप में उल्लेख कर दिया था और इकाई को इसमें संशोधन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया।

2.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रत्येक उत्पाद की संशोधित और सही उत्पादन क्षमता प्रस्तुत करने के अधीन, अधिकृत संचालन में संशोधन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। उत्पादन क्षमता का सही विवरण प्राप्त होने पर, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की मंजूरी के साथ फाइल पर अधिकृत संचालन में संशोधन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के संबंध में एक पत्र जारी किया जाएगा।

(3) इंटररा इन्फोटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड - निदेशकों में परिवर्तन।

3.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के संदर्भ में इकाई के निदेशकों में परिवर्तन पर ध्यान दिया।

सुरेंद्र मलिक

(4) लेकलैंड ग्लव्स एंड सेफ्टी अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड - उत्पादन क्षमता का अद्यतन, कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन और प्रदर्शन की निगरानी।

4.1 श्री विशाल कुमार, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। अनुमोदन समिति ने पाया कि अधिकृत संचालन का 8 अंकों का एचएस कोड नहीं दिया गया था।

4.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिए:

(i) अनुमोदन समिति ने प्रदर्शन की निगरानी की और पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक यानी 2018-19 (23.10.18-31.03.19) से 2022-23 तक इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2023 तक कोई विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

(ii) अनुमोदन समिति ने 18/10/2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार इकाई के निदेशकों में परिवर्तन पर ध्यान दिया, जो नए निदेशक की नियुक्ति के संबंध में लंबित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी, जो विनिर्माण के प्रत्येक उत्पाद के 8 अंकों के आईटीसी (एचएस) कोड को प्रस्तुत करने के अधीन है।

(5) जीएसआर इंडस्ट्रीज - पेपर बैग के निर्यात के लिए एकमुश्त अनुमति का अनुसमर्थन।

5.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, पेपर बैग के निर्यात के लिए दिनांक 18/06/2024 को दी गई एकमुश्त अनुमति की पुष्टि की।

(6) एपीके आइडेंटिफिकेशन- उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए दी गई मंजूरी की पुष्टि और प्रदर्शन की निगरानी।

6.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए दिनांक 16/04/2024 को दी गई अनुमति की पुष्टि की। अनुमोदन समिति ने प्रदर्शन की निगरानी भी की और पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक यानी 2018-19 (01.12.18-31.03.19) से 2022-23 तक इकाई द्वारा सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2023 तक प्राप्ति के लिए कोई विदेशी मुद्रा लंबित नहीं दिखाई गई थी।

(7) ईशक्ति.कॉम प्राइवेट लिमिटेड - कार्य निष्पादन की निगरानी।

7.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आशीष प्रधान और श्री विवेक पल्लीवाल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में विभिन्न एसडीएफ आवंटित किए गए थे और वर्तमान में लगभग 2.50 करोड़ रुपये का कुल लीज किराया बकाया है।

सुरेंद्र मलिक

श्री प्रधान ने बताया कि कोरोना के कारण उनका व्यवसाय कम हो गया और वे अभी भी उससे उबर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि वे जनवरी 2024 से 22 लाख रुपये का मासिक लीज किराया दे रहे हैं। इसके अलावा, अप्रैल से सितंबर 2024 के दौरान, वे प्रति माह 33 लाख रुपये की राशि जमा करेंगे जो उनके मासिक किराये से अधिक है। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि वे अपने तीन एसडीएफ को अभ्यर्पण करना चाहते हैं जो वर्तमान में व्यवसाय की कम मात्रा के कारण उपयोग नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने स्वीकृति पत्र (LOA) को नवीनीकृत करने का भी अनुरोध किया जो 30.06.2024 को समाप्त हो रहा था।

7.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई का स्वीकृति पत्र (LOA) 30.06.2024 तक वैध था। अनुमोदन समिति ने प्रदर्शन की निगरानी की और 2018-19 से 2021-22 के दौरान सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि इकाई ने आज तक 2022-23 की अवधि के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) जमा नहीं किया है।

7.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 2022-23 की अवधि के लिए फॉर्म-एफ1 और वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) जमा करने के अधीन, 31/12/2024 तक की अवधि के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने इकाई को एसडीएफ का बकाया लीज किराया जमा करने का निर्देश दिया, जिसे वे अभ्यर्पण करना चाहते थे और अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें, जिस पर नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

(8) डीआईएन इंजीनियरिंग एलएलपी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ), नौएडा - सेवा चालान के समर्थन के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 27(2) के तहत मार्गदर्शन के लिए अनुरोध।

8.1 यह सूचित किया गया कि नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) सीमा शुल्क ने दिनांक 20/06/2024 के पत्र के माध्यम से उपरोक्त विषय पर विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को निम्नलिखित विवरण/टिप्पणी के साथ मामला भेजा था:

“२. मेसर्स डीआईएन इंजीनियरिंग सर्विसेज एलएलपी, नौएडा ने अपने पत्र दिनांक 01.08.2023 के माध्यम से मेसर्स कैंडल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एचएसएन 998311 के तहत सेवा के प्रावधान के लिए जारी किए गए क्रमशः 4,00,000/- रुपये और 2,69,00,000/- रुपये के चालान संख्या 202104 दिनांक 20.03.2021 और 202108 दिनांक 31.03.2021 के समर्थन के लिए अनुरोध किया है।

3. यह प्रस्तुत किया जाता है कि ई-मेल दिनांक 11.10.2023 और सगाई पत्र/समझौते दिनांक 24.06.2020 के अवलोकन पर, यह देखा गया है कि इकाई द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं विशिष्ट खरीदार यानी मेसर्स एनफेज एनर्जी इंक को व्यवसाय में नियंत्रण हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से विनिवेश से संबंधित हैं।

सुरेंद्र मलिक

4. इसके अलावा, ईमेल दिनांक 23.05.2024 को इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह लेनदेन मेसर्स डीआईएन इंजीनियरिंग सर्विसेज एलएलपी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) और मेसर्स एनफेज एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के बीच हस्ताक्षरित एक व्यवसाय हस्तांतरण समझौता था, न कि शेयर खरीद समझौता। इकाई ने मेसर्स डीआईएन इंजीनियरिंग एलएलपी द्वारा "सौर ऊर्जा के लिए आईटी/आईटी सक्षम सेवाओं" को मेसर्स एनफेज सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव के लिए उक्त लेनदेन के लिए अनुमोदन समिति की (25.02.2021 को आयोजित) स्वीकृति की एक प्रति भी संलग्न की है। उक्त लेनदेन के लिए, मेसर्स कैंडल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित एम एंड ए लेनदेन के लिए इकाई को सलाह दी और उठाया गया चालान सौदे के समापन की दिशा में किए गए एम एंड ए कार्य के लिए था।

5. इस संबंध में, यह बताया गया है कि इकाई को दिए गए स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 05/03/2016-परियोजना/5917 दिनांक 20.06.2016 के अनुसार अधिकृत संचालन, सौर ऊर्जा, दूरसंचार सेवाओं, वास्तुकला और जीआईएस सेवाओं के लिए आवश्यक आईटी/आईटी सक्षम सेवाएं हैं। इकाई ने अपने प्रस्तुतीकरण में दिनांक 19.02.2024 के पत्र के माध्यम से दोहराया है कि एचएसएन 998311 के तहत प्रबंधन परामर्श में शामिल हैं:

..... (iv) विलय, अधिग्रहण आदि से संबंधित वित्तीय परामर्श सेवाएं जैसे मूल्यांकन के तरीकों, भुगतान की विधि, नियंत्रण के तरीकों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त पर सलाह।

इकाई ने प्रस्तुत किया है कि अधिकृत संचालन के लिए अनुमोदित सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के तहत नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) द्वारा प्रयुक्त प्रबंधन परामर्श एक व्यापक शब्द है, और आगे प्रस्तुत किया कि इस तरह के व्यापक शब्द में आवश्यक रूप से विशिष्ट परिभाषित सेवा शामिल होनी चाहिए और इसमें कुछ अन्य संबद्ध सेवाएं भी शामिल हो सकती हैं जो अन्यथा परिभाषा का हिस्सा नहीं बन सकती हैं।

6. इसके अलावा, इकाई ने दावा किया है कि यह अधिकृत सेवाओं की डिफॉल्ट सूची में आता है। इकाई ने यह भी अनुरोध किया है कि उसने मेसर्स एनफेज एनर्जी को अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, जिसे ऊपर बताए गए अधिकृत संचालन की व्यापक अवधि के तहत माना जा सकता है।

7. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 27(2) के तहत मार्गदर्शन प्रदान किया जाए कि क्या मेसर्स कैंडल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इकाई को प्रदान की गई "प्रबंधन परामर्श" सेवाएं उनके अधिकृत संचालन के अंतर्गत आती हैं।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची देखी। अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा प्राप्त सेवाओं यानी 'प्रबंधन परामर्श' पर ध्यान दिया और निर्दिष्ट अधिकारी को अन्य पूर्ति मानदंडों की जांच करने

सुरेंद्र मलिक

और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम/नियमों और जी एस टी अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन के अधीन इकाई द्वारा प्राप्त उक्त सेवाओं के समर्थन पर विचार करने का निर्देश दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

ए. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त